RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 8721/2025

Rahis Khan S/o Sultan Khan, Aged About 36 Years, Resident Of Gali No. 03, Kayam Nagar, Didwana, District-Didwana-Kuchaman

----Petitioner

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Versus

1. State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor
2. Regional Passport Officer, Jaipur, Regional Passport Office, Jaipur

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Rajak Khan
For Respondent(s) : Mr. Ramesh Dewasi, PP with Mr. Ravindra Singh Bhati

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/11/2025

01. अयाचीगण को नोटिस जारी किया जावे। अयाचीगण की ओर से विद्वान लोक अभियोजक नोटिस स्वीकार करते हैं। अतः औपचारिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

02. पक्षकारान की सहमति से इस स्टेज पर प्रकरण के अन्तिम निस्तारण हेतु बहस सुनी गई। इस मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पासपोर्ट नवीनीकरण हेतु आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया था और यह निवेदन किया गया था कि पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है परन्तु याची मजदूरी के लिए विदेश गया था जहां विदेश में याची रह गया है। बिना पासपोर्ट नवीनीकरण के विदेश से भारत आना सम्भव नहीं है। परन्तु न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि बिना न्यायालय की अनुमति के याची विदेश चला गया, प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इस आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की गई।

03. विद्वान लोक अभियोजक ने इसका सख्त विरोध किया।

04. मैंने विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.2025 पर विचार किया। याची बिना न्यायालय की अनुमति के विदेश चला गया है इस संबंध में समुचित आदेश जमानत के संबंध में किया जा सकता है। याची जिस पासपोर्ट से विदेश गया है उस पासपोर्ट के नवीनीकरण के बगैर वह विचारण न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हो

(Uploaded on 13/11/2025 at 05:57:14 PM)
(Downloaded on 14/11/2025 at 12:50:15 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

सकता जिससे अग्रिम कार्यवाही विचारण न्यायालय भी करने में सक्षम नहीं है। इस आधार पर कि बिना अनुमति विदेश चला गया पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार किया जाना विधिसम्मत नहीं है। पासपोर्ट नवीनीकरण के पश्चात विदेश से भारत आने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतंत्र है। ऐसी अवस्था में पासपोर्ट नवीनीकरण का आवेदन पत्र स्वीकार कर फौजदारी प्रकरण लंबित होने के बावजूद पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाना विधिसम्मत है।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

05. अतः याची की याचिका स्वीकार की जाकर पासपोर्ट नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर यह आदेश दिया जाता है कि पासपोर्ट आथेरिटी विचारण न्यायालय एसीजेएम डीडवाना के समक्ष लंबित सरकार बनाम ईमरान खां वगैरा फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 669/2019, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 135/2019 पुलिस थाना डीडवाना जिला नागौर के लंबित रहने के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार नहीं करे और प्रकरण लंबित है उसके बावजूद भी दस वर्ष की अवधि के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

06. तदनुसार, यह फौजदारी विविध याचिका एवं स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते हैं।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

39-S N LOHRA/-

(Uploaded on 13/11/2025 at 05:57:14 PM)
(Downloaded on 14/11/2025 at 12:50:16 AM)